'अभ्यर्थियों की महत्वहीन त्रुटियों के निस्तारण के लिए क्या है व्यवस्था'

- हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव और आर.पी.एस.सी. सचिव को शपथ पत्र पेश करने को कहा
- अदालत ने कहा कि किसी बेरोजगार लेकिन योग्य व पात्र उम्मीदवार के जीवन में सरकारी नौकरी के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता और ना ही उसे नियुक्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव और आरपीएससी सचिव को व्यक्तिशः या वीसी से पेश होकर शपथ पत्र के जरिए बताने को कहा है कि भर्ती में अभ्यर्थियों की ओर से की गई छोटी-मोटी और महत्वहीन त्रुटियों के प्रभावी निस्तारण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। जिससे सरकारी नौकरी के योग्य अभ्यर्थियों को अनुचित मुकदमेबाजी से बचाया जा सके। वहीं अदालत ने दोनों अधिकारियों से याचिकाकर्ता के पद पर बने रहने के संबंध में हुए जानकारी पेश करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश राजेश की याचिका पर दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी बेरोजगार लेकिन योग्य व पात्र उम्मीदवार के जीवन में सरकारी नौकरी के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता और ना ही उसे नियुक्ति के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अपनाए तकनीकी दृष्टिकोण की अदालत सराहना नहीं करता है, खासकर तब जबकि भर्ती का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का चयन करना हो। इस तरह की कार्रवाई से पहले से मुकदमों के बोझ तले दबे न्यायालय में अनावश्यक मुकदमेबाजी की नौबत आती है।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का हिंदी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2018 में चयन हुआ था। उसकी नियुक्ति को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसने आवेदन पत्र में अंग्रेजी में राकेश और हिंदी में राजेश नाम लिखा था। अदालत के दिसंबर, 2020 के अंतरिम आदेश की पालना में याचिकाकर्ता को 23 जून, 2021 को नियुक्ति दी गई। वहीं बाद में उसका आरपीएससी की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती में चयन हो गया। ऐसे में उसके नाम के विवाद को अंतिम रूप से तय किया जाए, ताकि उसे पेंशन प्रोटेक्शन का लाभ मिल सके। अदालत के सामने आया कि राज्य सरकार और आरपीएससी को याचिकाकर्ता के सही नाम पर संदेह नहीं है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता की नियुक्ति को अंग्रेजी में गलत नाम होने के आधार पर विवादित किया जा रहा है।

अदालत के पूछने पर बताया गया कि विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हिंदी और अंग्रेजी में नाम को लेकर भिन्नता हो तो अंग्रेजी में लिखे नाम को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से अदालत को इस बात पर भी संतुष्ट नहीं किया जा सका कि नाम की छोटी सी विसंगति को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता को मौका क्यों नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि जब याचिकाकर्ता के नाम पर विवाद ही नहीं है तो उसकी नियुक्ति को लेकर विवाद क्यों किया जा रहा है।

माँग दिवस के रूप में मनाया सहकारिता दिवस

जयपुर, (का.सं.)। ऑल इंडिया कोआपरेटिव बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व ऑल राजस्थान कोआपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन के प्रान्तीय महासचिव सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि 6 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को फ़ेडरेशन के राष्ट्रीय आव्हान पर देश भर के सहकारी बैंक कर्मियों ने माँग दिवस के रूप में मनाया। देश भर में सहकारी बैंक कर्मियों ने माँग के लिए बेज धारण कर माँग दिवस मनाया। माँगो के लिए सचिव सहकारिता व रजिस्ट्रार सहकारिता को ज्ञापन प्रेषित किए गये। प्रदेश के सहकारी बैंक कर्मियों के वेतनमान सुधार के लिए मुख्यमंत्री, वित्त विभाग सरकार व सहकारी विभाग स्तर से अक्टूबर 2023 में ही सम्पन्न/स्वीकृत अवधिपार लंबित 16वे वेतन समझौते को सभी सहकारी बैंकों में एकरूपता लागू करना, सहकारी बैंकों में कर्मचारी व अधिकारी के तीन साल से रिक्त पड़े पदो पर भर्ती करना आदि को लेकर माँग दिवस मनाया गया।

हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी के उर्स का समापन

मीर जी दरगाह में हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी के आठवें उर्स के पहले दिन देशभर से हजारों मुरीदों ने अपनी दुआएं और मन्नतें मांगी।

जयपुर। संसार चंद रोड स्थित मीर जी दरगाह में हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी के आठवें उर्स के पहले दिन रात में क्लासिकल म्यूजिकल नाइट में फनकारों ने जबरदस्त अपने फन की प्रस्तुति दी। दूसरे दिन सुबह कुरानखानी हुई और दरगाह को गुसल दिया गया। शाम को कव्वाली की महफिल सजी जिसमें देश भर से कव्वाल पहुंचे बॉलीवुड फेम साबरी बंधुओं ने शानदार कलाम पेश किया, महफिल देर रात तक चली। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद हबीब उर रहमान नियाजी ने कहा कि तीन दिन के उर्स मुबारक में अलग-अलग दिन अलग-अलग कार्यक्रमों हुए। पहले दिन देश भर के मशहूर क्लासिकल फनकातो ने अपने फन पेश किया। दूसरे दिन शाम को मगरिब के बाद चादरों का सिलसिला शुरू हुआ। देशभर से अकीदतमंदो ने अपनी मुरादों की चादर पेश की। रात में कव्वाली की महफिल सजी जो देर रात तक चली। तीसरे दिन कुल की रस्म के साथुरा का समापन हुआ और देश में ओ अमन रहे, आपसी भाईचारा हमेशा बना रहे की अर्जी लगाई गई। उन्होंने कहा कि सभी मुरिदो से वादा लिया की एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। दरगाह के नायाब सज्जादानशीन सैयद फैज उर रहमान नियाजी ने कहा देशभर से हजारों की तादाद में मुरीद जयपुर पहुंचे हैं और अपने हकीकत के फूल पेश किए हैं और अपनी दुआएं और मन्नतें मांगी सभी आए। तीनो दिन लंगर का प्रोग्राम रहा हजारों लोगों ने लंगर खाया। कुल की रस्म के साथ उर्स मुकम्मल हुआ।

रत्न आभूषणों के बूथ पर उमड़े देश विदेश के खरीदार

जयपुर, (का.सं.)। शो के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा और विधायक गोपाल शर्मा ने जस -2024 का अवलोकन किया ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष आलोक सोंखिया, महासचिव नीरज लुणावत ,उपाध्यक्ष राजू मंगोडी वाला और शो के कन्वीनर अशोक माहेश्वरी ने उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और विधायक गोपाल शर्मा को शो का विजिट का स्वागत किया और शो का विजिट कराया।

जयपुर ज्वैलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और जस 2024 के सहसंयोजक राजू मंगोडी वाला ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनी का दौरा किया और जयपुर के एक्जीबिटर्स की ओर से प्रदर्शित किए गए रत्न आभूषणों के एक से बढ़कर एक डिजाइन और कारीगरों की कला की सराहना की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा की जयपुर की ज्वेलरी पूरी दुनिया में मशहूर है और इस तरह के शो यहां के ज्वैलरी व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और मजबूती के साथ प्रस्तुत करती है। बीजेपी सरकार इस शो का पूरा समर्थन और सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। विधायक गोपाल शर्मा ने जस -2024 में सजे रंगीन रत्नों के अनोखे संसार और खूबसूरत गहनों से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा कि ज्वैलरी शो, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की ओर से किया गया शानदार प्रयास है।

सहकारी संस्थाएं नवीन तकनीक अपनाएं : अर्चना सिंह

रजिस्ट्रार सहकारिता अर्चना सिंह ने शनिवार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राइसेम परिसर में 102वें अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित सेमीनार को संबोधित किया।

जयपुर, (कासं.)। रजिस्ट्रार सहकारिता अर्चना सिंह ने कहा कि प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के पल्लवन के लिये आवश्यक है कि वे अधिकाधिक नवीन तकनीक को अपनायें ताकि उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता का समावेश हो और सदस्यों का सहकारिता में विश्वास कायम रहे। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के विकास और प्रसार के लिये उनके संरक्षण, संवर्धन और नियंत्रण में संतुलन रखकर कार्य करने की आवश्यकता है।

सिंह ने शनिवार को झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राइसेम परिसर में 102वें अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित सेमीनार को संबोधित करते हुये कहा कि आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व प्रदेश में कृषि क्षेत्र में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये सहकारिता का संस्थागत स्वरूप सामने आया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में समाज और व्यक्ति की आवश्यकता और पसंद में परिवर्तन आया है। इसलिये अब सहकारी संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं और पसंद को ध्यान में रखते हुये अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव लाने की जरूरत है।

रजिस्ट्रार ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को अपनी सेवा प्रदायगी को बेहतर करते हुये नये नये क्षेत्रों में कार्य करना चाहिये, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता में समर्पण और ईमानदारी के साथ कार्य करें और सभी को साथ लेकर चलेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं।

जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया ने कहा कि सहकारिता लोकतंत्र का प्राणतत्व है। जिस लोकतंत्र में सहकारिता नहीं है वह मृतप्राय है। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक सहयोग की भावना समाज को एकजुट करती है और इसी से व्यक्ति में सहकारिता का जन्म होता है। समाज में नैतिकता होने पर ही सहकारिता का प्रसार संभव है।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर राइसेम परिसर में रजिस्ट्रार सहकारिता, जयपुर डेयरी अध्यक्ष, निदेशक राइसेम सहित सभी सहकारजनों ने पौधारोपण किया। सेमीनार में करणपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष लखविन्दर सिंह, फागी जीएसएस के अध्यक्ष ओ. पी. शर्मा, बीलवा जीएसएस के अध्यक्ष प्रहलाद सहाय, नाबार्ड के पूर्व महाप्रबंधक आर. एस. जोधा, भूतपूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) लीला पुरूषोत्तम तथा राइसेम निदेशक जितेन्द्र शर्मा ने संबोधन दिया। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव सहकारिता दिनेश कुमार जांगिड, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) राजीव लोचन शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) शोभिता शर्मा, प्रबंध निदेशक एसएलडीबी विजय कुमार शर्मा सहित जयपुर सीसीबी के प्रबंध निदेशक तथा राइसेम एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

बिल्डर रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स पर 55 हजार रुपए हर्जाना

जयपुर, (का.सं.)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने फ्लैट की बुकिंग की राशि लेने के बाद भी तय अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने बिल्डर रवि सूर्या अफोर्डेबल होम्स पर 55 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह परिवादी को बुकिंग के तौर पर वसूल की गई 1.38 लाख रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाए। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश लाखन सिंह के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि उसने बिल्डर के प्रोजेक्ट सूर्या रेजीडेंसी में बुकिंग राशि देकर 2 बीएचके का फ्लैट बुक करवाया था। बिल्डर के प्रतिनिधि ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा हो जाएगा और वह उसे 20 दिन में ही बकाया राशि का लोन करवा देगा। इसके बावजूद भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। उसने जब विपक्षी के कर्मचारियों से अपनी जमा राशि वापस मांगी तो वे पहले तो टालमटोल करते रहे, लेकिन बाद में उसे डराया कि दुबारा संपर्क किया तो हाथ-पैर तोड देंगे।

दुष्कर्म करने के आदतन अभियुक्त जीवाणु को एक बार फिर उम्रकैद

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिगों से दुष्कर्म करने के आदतन अभियुक्त सिकंदर उर्फ जीवाणु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह प्रकरण चार साल की बच्ची से दुष्कर्म कर जीभ काटने से जुडा है। अभियुक्त सात साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि 23 जून, 2019 को पीडिता के चाचा ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी चार साल की भतीजी रात करीब दस बजे खेलती-खेलती घर से बाहर निकल गई थी। पुलिस और परिजनों के काफी तलाश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा। वहीं रात करीब दो बजे कोई उसे घर के थोडी दूरी पर छोडकर चला गया। अस्पताल जाने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और जीभ काटी गई है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को कोटा से गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे मोटर साइकिल पर बैठाकर नाले में ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। जब वह चिल्लाई को अभियुक्त ने चाकू से उसकी जीभ काट दी। जिस पर सुनवाई करते अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आम सूचना दिनांक-06.07.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री भागचन्द गुजराती पुत्र स्व. श्री छीतरदास गुजराती जाति वाल्मिकी निवासी डी. 93, झालाना फेज-3 सरकारी डिस्पेंसरी के पीछे, जयपुर, राजस्थान का पुत्र अरविन्द कुमार व उसकी पत्नी कविता मेरे मुवक्किल के कहने मे नहीं है और अकेले गुजर-बसर करने का इरादा रखते है एवं अपनी मर्जी मुताबिक जिन्दगी बसर कर रहे है ये दोनों आए दिन मेरे मुवक्किल व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अभद्रता करते है व बदतमीजी से पेश आते है जिस कारण मेरे मुवक्किल ने अपने पुत्र अरविन्द कुमार व उसकी पत्नी कविता को अपनी समस्त अचा-अचल सम्पत्ति एवं अपने परिवार से बेदखल कर दिया है एवं आज दिन से ये दोनों कोई भी ऐसा कृत्य करते है जिससे किसी को कोई भी हानी का सामना करना पडे तो उसके जिम्मेदार ये दोनों स्वयं होंगे एवं जो कोई व्यक्ति इनसे किसी भी तरह का संव्यवहार करेगा उसका वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।

रोहित तिवारी, एडवोकेट
(राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर),
मो. 8233994755

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक : 2698 **आखिर आम सूचना** दिनांक : 05.07.2024

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लैट संख्या-1/एफ/41 (भू-तल) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 118.07 वर्ग मीटर का आवंटन श्री आर.एस. यादव (राम सूरत यादव) को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 146 दिनांक 13.05.1994 जारी किया गया। उनके द्वारा उक्त आवास/फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर, प्रथम में दिनांक 19.12.2008 को करवाया गया। श्री आर.एस. यादव (राम सूरत यादव) की मृत्यु दिनांक 06.10.2018 को हो जाने के कारण श्रीमती प्रतिमा यादव पत्नी स्व. श्री आर.एस. यादव (राम सूरत यादव) के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत हकत्याग की छाया प्रति एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेनदनकर्ता श्रीमती प्रतिमा यादव पत्नी स्व. श्री आर.एस. यादव (राम सूरत यादव) के पक्ष में उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल जयपुर

डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र को समर्पित किया अपना जीवन : मंजू शर्मा

- 'उनके नारे ''एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे'' को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया साकार'

जयपुर। जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज उनके चित्र पर पुष्पांजली अर्पित की गई। इस दौरान जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉ. मुखर्जी ने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। कश्मीर को लेकर डॉ मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। इस नारे को 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने 70 मिनट में पूरा करते हुए कश्मीर से धारा 370 और 35 ए हटाने का ऐतिहासिक काम किया। वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्र विरोधी लोग और राजनैतिक पार्टियां कश्मीर के मामले को यूएन में ले जाने का काम कर रहे थे, धारा 370 के बिल को संसद में फाड़ने का काम कर रहे थे, ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कमजोर करने के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एकजुट होकर डॉ मुखर्जी के पदचिन्हों पर कार्य करने की आवश्यकता हैं।

जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में पंडित नेहरू की परमिट व्यवस्था का भी विरोध किया था। इसी विरोध के स्वरूप उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उनके बलिदान को जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समझा और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। डॉ. मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धान्तवादी नेता थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और शिक्षाविद् डॉ मुखर्जी के जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। डॉ मुखर्जी उस दौर में जो विचार लेकर चले थे, उनके विचारों को देश में समझने वाला कोई नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने अपने विचारों को आगे बढाया। हमें डॉ. मुखर्जी की विचारधारा को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। डॉ. मुखर्जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया। कश्मीर में जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन हाथों को रोजगार देकर उनके परिवारों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। पुष्पांजली कार्यक्रम के दौरान भाजपा के संगठक प्रद्युम्न कुमार, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी और भाजपा मीडिया कार्यालय प्रभारी चंपालाल रामावत सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्व में की गई सेवा का वेतन संरक्षित करने के आदेश

जयपुर। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 में चयनित अभ्यर्थी का समान पद पर पूर्व में की गई सेवा व वेतन संरक्षित करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनुप कुमार ढंड ने यह आदेश बनवारी लाल चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 में चयन हुआ था। इस भर्ती में उसे बाडमेर जिला आवंटित हुआ था। वहां सेवा देने के बाद वर्ष 2018 में निकली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उसका चयन हो गया और उसे जयपुर जिला आवंटित हो गया। याचिका में कहा गया कि उसकी समान पद पर ही दूसरी नियुक्ति हुई है। ऐसे में राजस्थान सेवा नियम के नियम 24 के तहत उसके वर्तमान वेतन को संरक्षित किया जाए और पूर्व में की गई सेवाकाल की गणना भी की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की पूर्व की सेवाकाल की गणना करते हुए वेतन को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने 12.75 लाख रुपए का क्लेम खारिज किया

- बीमा कंपनी को वाहन चोरी की सूचना 317 दिन की देरी से देने का मामला

जयपुर, (का.सं.)। जिले की स्थाई लोक अदालत ने वाहन चोरी की सूचना बीमा कंपनी को 317 दिन की देरी से देने और चोरी की एफआईआर 20 दिन बाद दर्ज कराने को संदिग्ध मानकर 12.75 लाख रुपए का क्लेम खारिज कर दिया। स्थाई लोक अदालत ने कहा कि वाहन चालक को ऐसा कौनसा जरूरी काम था, जो वाहन में ही चाबी लगाकर चला गया और दूसरे दिन मौके पर आया। वहीं वाहन के मालिक ने चोरी की एफआईआर भी बीस दिन बाद दर्ज क्यों नहीं कराई। वहीं बीमा कंपनी को चोरी की सूचना 317 दिन की देरी से देना भी बीमा शर्तो का उल्लंघन है। ऐसे में परिवादी बीमा क्लेम लेने का अधिकारी नहीं है। लोक अदालत ने यह आदेश किरण सिंह का परिवाद खारिज करते हुए दिए। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी ने अपने ट्रेलर का बीमा 12 लाख रुपए में बीमा कंपनी से करवाया था। इसकी अवधि 28 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2021 थी। इस दौरान बीमित वाहन 15 दिसंबर 2020 को ही कोटपुतली थाना क्षेत्र से चोरी हो गया, लेकिन वाहन चालक ने बीमा कंपनी को चोरी की सूचना नहीं दी और एफआईआर भी 20 दिन की देरी से दर्ज कराई। वहीं जांच में आया कि चालक खुद ही वाहन की चाबी उसमें लगाकर चला गया था और सुबह वापस आया तो वाहन उसे नहीं मिला। वाहन चालक ने बीमा कंपनी में क्लेम किया, लेकिन कंपनी ने उसे गलत मानते हुए 29 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया। इसे परिवादी ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती दी थी।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुनीता सैनी से बदलकर दीपा सोलंकी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी 3986 एमएसबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर

मैं आर्मी नम्बर 16022822A L/Hav. Satendra Singh Rajawat S/o Lakhan Singh Rajawat R/o BTI Road, Santosh Nagar, Bhind M.P. Pin 477001. आर्मी सर्विस रिकोर्ड में मेरी धर्मपत्नी का नाम Vandna Rajawat गलत दर्ज है सही नाम Vandana Rajawat Vide Affidavit BV 993613 Dated 06.07.2024

I have correct my husband name from Sayed Ikram Hussain Naqvi to Sayed Ikram Hussain for all puspose. Sayed Sultana Hussain (Wife), 835, Naqvi House, Mohalla Bisatiyan, Ramganj Bazar, Jaipur.

I have changed my name from Manish Kumar Sharma to Manish Sharma for all purposes R/o 16, Dev Nagar-A Jaysinghpura Khor Jaipur.

I army no. 14224294 Ex Sigmn banwari lal moond S/o Ganpat ram moond R/o Plot No. 109-4c jamnapuri murlipura scheme jaipur that I have changed my name From Banwari Lal Moond to Banwari Lal S/o Ganpat ram (as per aadhar card & other documents) vide affidavit dated 3 July 24 before district notary Jaipur.

No.6
Notice To Respondent Of The Day Fixed For The Hearing Of The Appeal
[O.41 Rule 14 C.P.C.]
In the Court: High Court of Judicature for Rajasthan at Jaipur Bench, Jaipur.
Appellant Santra Respondent Bhanwar Lal & Ors.
S.B. CIVIL FIRST APPEAL NO. 337/2021
along with
S.B. CIVIT MISC. STAY APPLICATION 28498/2021
Claim For-Specific Performance, Possession, Mesne Profit & Declaration, Injunction
Appeal against the Decision at the Court: Additional District Judge No.1, Jaipur Metropolitan Second, Jaipur
Dated: 27th Day of August, 2021
In Civil Original Case No. 443/2012

TO
1. Manju W/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot No. 66/67, Lohiya Bhawan Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.
2. Hitesh S/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot No. 66/67, Lohiya Bhawan Kanti Nagar, Polovictory ke Samme, Jaipur.
3. Bhawana D/o Late Hansraj Joshi, Resident of Plot No. 66/67, Lohiya Bhawan Kanti Nagar, Polovictory ke Samne, Jaipur.

Take notice that an appeal from the decree of ADJ NO. 1 Jaipur Metropolitan Second in this case has been presented by deponent and registered in this court, and that the 12.07.2024 day..... of 2023 has beem fixed by this court for the hearing of this appeal.
If no appearance is made on your behalf by yourself. your pleader or by some one by law authorised to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this day 01.07.2024 of___
SEAL प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

माथुर ने लगाया एक पेड़ माँ ने नाम

जयपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओमप्रकाश माथुर ने प्रधानमंत्री के आव्हान पर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत मानसरोवर स्थित अपने आवास के बाहर पेड़ लगाए। इस अवसर पर पूर्व विधायक मानसिंह किन्सरिया स्थानीय पार्षद व निगम में चेयरमैन हरीश शर्मा के साथ कॉलोनी के निवासी उपस्थित रहे।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हरियाणा का प्रभारी बनाकर किसानों का मान बढ़ाया : डॉ. सतीश पूनिया

हरियाणा भाजपा का प्रभारी बनाए जाने पर डॉ. सतीश पूनिया को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी।

जयपुर। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा डॉ. सतीश पूनिया को हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रभारी बनाये जाने पर प्रदेशभर से जयपुर पधारे कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने डॉ. सतीश पूनियां को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित समस्त केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार-अभिनंदन व्यक्त किया।

इस दौरान सतीश पूनिया ने जयपुर में राणी सती नगर स्थित अपने जनसंवाद केंद्र पर जनसुनवाई की, जो वह जयपुर रहने के दौरान पिछले कई वर्षों से सुबह 8 से 11 बजे तक प्रदेशभर से पधारे कार्यकर्ताओं एवं आमजन से मुलाकात कर जनसुनवाई करते हैं।

सतीश पूनिया ने कहा कि हरियाणा राज्य के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के सामान्य किसान परिवार में जन्मे मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को हरियाणा का प्रभारी बनाकर राजस्थान, हरियाणा सहित समस्त देश के किसानों का मान बढ़ाया है, इससे पहले राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर भी भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने किसानों का सम्मान बढाया था। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किसानों एवं खिलाड़ियों की धरती हरियाणा में जनता के आशीर्वाद एवं कार्यकर्ताओं के परिश्रम से फिर से प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है, वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार की जनहितकारी नीतियों पर हरियाणा की सभी 36 कौम की किसान सरदारी, युवा एवं माता बहनें अपने आशीर्वाद से विश्वास की मुहर लगाएंगे और तीसरी बार भाजपा हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।

आवश्यकता
आवश्यकता है पार्ट टाइम कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जो हिन्दी में पेजमेकर, क्वार्क और वर्ड में काम कर सकें।
कार्य समयः सांय 8.00 से 12.00
सम्पर्क करें: अमित
मोबाईल नं.: 7905717804
राष्ट्रदूत
चमेली वाला मार्केट, जयपुर